न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

((निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर.–75 / संख्या : 949 / 2020 / (2020 / 00949) जिला–अजमेर

1. जेता सिंह पुत्र स्व. श्री धन्ना
2. महावीर पुत्र स्व. श्री धन्ना
   समस्त जाति रावत निवासीगण ग्राम बड़ल्या तहसील व जिला अजमेर।

–––अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर जिला अजमेर।
2. आयुक्त अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर।
3. हल्का पटवारी ग्राम बड़ल्या तहसील व जिला अजमेर।

–––––प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी अजमेर निर्णय दिनांक 12.06.2018 राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार वर्ष 2018

उपस्थित– 1. श्री मो0 इकबाल अभिभाषक, अपीलार्थी
2. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः–04/10/2021

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण की ग्राम बड़ल्या तहसील व जिला अजमेर में वर्किंग जमाबन्दी खसरा नं0 58मिन रकबा 01–09–00 बीघा आधारभूत जमाबन्दी 2069–72 खसरा नं0 637 रकबा 0.14 हैक्टेयर व खसरा 638 रकबा 0.10 हैक्टेयर खातेदारी काश्तकारी की अवस्थित है। जमाबन्दी सम्वत् 2041 में खसरा नं0 58 रकबा 01–09–00 बीघा जरिये नामान्तरकरण संख्या (अपठित) दिनांक 29.01.1996 को उपखण्ड अधिकारी के आदेश से नियमन से अपीलार्थीगण के नाम दर्ज किया गया था जिसके पश्चात् हाल ही में सम्पन्न हुई बन्दोबस्त कार्यवाही में नई जमाबन्दी 2069–72 में वर्किंग

Scanned with CamScanner

जमाबन्दी सम्वत् 2041 में दर्ज इन्द्राज को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना क्षेत्राधिकार के सिवायचक काबिल काश्त भूमि दर्ज कर दी जबकि उपरोक्त आराजीयात पर अपीलार्थीगण बहैसियत रेकार्ड खातेदार काश्तकार संम्वत 2041 से चले आ रहे है। उक्त त्रुटि की दुरूस्ती हेतु राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार वर्ष 2018 में उपखण्ड अधिकारी के समक्ष राजस्व रेकार्ड की दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत किया जिसे उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 12.06.2018 से खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

अभिभाषक अपीलार्थीगण द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलार्थीगण की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया गया कि उपखण्ड अधिकारी अजमेर के निर्णय दिनांक 12.06.2018 के संबंध में कोई जानकारी अपीलार्थी को केम्प के पश्चात् नहीं दी गई थी। दिनांक 15.06.2020 को अपीलार्थी अपीलाधीन आराजीयात की दुरूस्ती की जानकारी हल्का पटवारी से चाही तो उक्त राजस्व प्रार्थना पत्र खारिज होने की बात बताई गई। अपीलार्थीगण ने दिनांक 20.08.2020 को नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा दिनांक 03.09.2020 को नकल प्राप्त की गई। तत्पश्चात् अभिभाषक से सर्म्पक कर अपील तैयार करवाई जिसके साथ अपीलार्थीगण द्वारा धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। अपीलार्थीगण द्वारा उक्त अपील काफी विलम्ब से बिना किसी ठोस व सक्षम आधार के प्रस्तुत की गई है, इस कारण से उपरोक्त अपील उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम के स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। न्यायालय धारा 5 मियाद के प्रार्थना पत्र को निर्णित करते समय केवल यह देखेगा कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कारण संतोषप्रद है या नही। वह प्रकरण की मेरिट को बिल्कुल नहीं देखेगा। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 कानूनन मयाद निराधार, बेबुनियाद एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित कारण संतोषप्रद नहीं होने से मूल अपील को वर्तमान स्तर पर ही सव्यय खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों तथा प्रत्यर्थीगण अभिभाषक के जवाब पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित

Scanned with CamScanner

जमाबन्दी सम्वत् 2041 में दर्ज इन्द्राज को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना क्षेत्राधिकार के सिवायचक काबिल काश्त भूमि दर्ज कर दी जबकि उपरोक्त आराजीयात पर अपीलार्थीगण बहैसियत रेकार्ड खातेदार काश्तकार संम्वत 2041 से चले आ रहे है। उक्त त्रुटि की दुरूस्ती हेतु राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार वर्ष 2018 में उपखण्ड अधिकारी के समक्ष राजस्व रेकार्ड की दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत किया जिसे उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 12.06.2018 से खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

अभिभाषक अपीलार्थीगण द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलार्थीगण की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया गया कि उपखण्ड अधिकारी अजमेर के निर्णय दिनांक 12.06.2018 के संबंध में कोई जानकारी अपीलार्थी को केम्प के पश्चात् नहीं दी गई थी। दिनांक 15.06.2020 को अपीलार्थी अपीलाधीन आराजीयात की दुरूस्ती की जानकारी हल्का पटवारी से चाही तो उक्त राजस्व प्रार्थना पत्र खारिज होने की बात बताई गई। अपीलार्थीगण ने दिनांक 20.08.2020 को नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा दिनांक 03.09.2020 को नकल प्राप्त की गई। तत्पश्चात् अभिभाषक से सर्म्पक कर अपील तैयार करवाई जिसके साथ अपीलार्थीगण द्वारा धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। अपीलार्थीगण द्वारा उक्त अपील काफी विलम्ब से बिना किसी ठोस व सक्षम आधार के प्रस्तुत की गई है, इस कारण से उपरोक्त अपील उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम के स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। न्यायालय धारा 5 मियाद के प्रार्थना पत्र को निर्णित करते समय केवल यह देखेगा कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कारण संतोषप्रद है या नही। वह प्रकरण की मेरिट को बिल्कुल नहीं देखेगा। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 कानूनन मयाद निराधार, बेबुनियाद एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित कारण संतोषप्रद नहीं होने से मूल अपील को वर्तमान स्तर पर ही सव्यय खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों तथा प्रत्यर्थीगण अभिभाषक के जवाब पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित

Scanned with CamScanner

सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है एवं न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये अपील गुणावगुण पर निस्तारित करने का निश्चय किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए बहस के दौरान कथन किया कि विवादित आराजियात के संबंध में वर्किंग जमाबन्दी सम्वत् 2041 में दर्ज इन्द्राज को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना क्षेत्राधिकार के सिवायचक काबिल काश्त भूमि दर्ज कर दी जबकि जमाबन्दी सम्वत् 2041 में खसरा नं0 58 मिन 01–09–00 बीघा जरिये नामान्तरकरण संख्या (अपठित) दिनांक 29.01.1996 से उपखण्ड अधिकारी के आदेश से नियमन से अपीलार्थीगण के नाम दर्ज किया गया था तथा उपरोक्त आराजीयात पर अपीलार्थीगण बहैसियत रेकार्ड खातेदार काश्तकार चले आ रहे है। उक्त त्रुटि की दुरूस्ती हेतु राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार वर्ष 2018 में उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर लोक अदालत में सुलभ न्याय प्रदान करने के स्थान पर राजस्व वाद प्रस्तुत करने के आदेश प्रदान करने की त्रुटि कारित की गई है।

उनका यह भी तर्क है कि विवादित भूमि को सिवायचक दर्ज करने के उपरान्त जिला कलक्टर अजमेर के आदेश कअ/राजस्व/एफ.12(सी)/13/292 दिनांक 27.09.2013 से अजमेर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित होना बता दिया गया है जबकि भूप्रबन्ध विभाग को पूर्व प्रविष्टियों को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है। यह महत्वपूर्ण बिन्दु माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित विभिन्न न्यायिक दृष्टांतो में भी दर्शाया गया है कि भू प्रबन्ध विभाग को पूर्व प्रविष्टीयो को परिवर्तित करने का अधिकार नही है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.06.2018 में इन महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअन्दाज कर भूमि अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज होना दर्शाते हुये प्रभावित पक्षकारों को पार्टी बनाकर सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर राहत प्रदान किये जाने का प्रदान किया जो अविधिक आदेश है तथा राजस्व लोक अदालत में न्याय प्रदान नहीं कर उक्त आदेश को निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपने कथनो के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये जो इस प्रकार हैः–

1– आरआरटी 2001 (1) पृष्ठ 244 एचसी एसबी सिविल रिट पीटिशन संख्या 1325/2000 निर्णय दिनांक 11 जुलाई 2000 बउनवान भारत बनाम राजस्थान सरकार व अन्य जिसमें प्रतिपादित किया गया है कि ''सैटलमेन्ट–सैटलमेन्ट ऑप्रेशन–भूमि की किस्म, कृषको के अधिकार तथा राजस्व अभिलेख में प्रविष्टिया परिवर्तित करने का सैटलमेंन्ट विभाग को अधिकार नही है – किसी भी व्यक्ति पर खातेदारी अधिकार–प्रदत करने का उसे अधिकार नही है–सामान्य सैटलमेन्ट ऑप्रेशन तक की शक्तिया सीमित है ।''

Scanned with CamScanner

2 आरआरटी 2008 (1) पृष्ठ 151 एचसी एसबी सिविल रिट पीटिशन संख्या 2947/2002 निर्णय दिनांक 23 जुलाई 2007 बउनवान गैनाराम व अन्य बनाम राजस्व मंडल व अन्य जिसमें प्रतिपादित किया गया है कि "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–88–घोषणा हेतु वाद–खसरा नं0 734 के प्रार्थीगण खातेदार कृषक घोषित हुये–राजस्व अपील प्राधिकारी ने निर्णय उलटा तथा राजस्व मंडल द्वारा यथावत रखा गया–बन्दोबस्त विभाग को विद्यमान अंकन को परिवर्तित करने का अधिकार नही है चाहे पिता प्रत्यर्थी सं0 4 का कब्जा स्वीकार किया हो–प्रत्यर्थी संख्या 4 को स्वतंत्र वाद प्रस्तुत करना चाहिए –निर्णित निर्णय व डिक्री उलटने में राजस्व अपील प्रार्थिकारी तथा राजस्व मंडल न्यायसंगत नही थे ।" **याचिका स्वीकार की गयी।**

3 आरबीजे (27)2020 पृष्ठ 126 अपील/डिक्री/टीए/3607 /2004 /हनुमानगढ निर्णय दिनांक 12.06.2019 बउनवान पूर्णाराम बनाम हंसराम राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर – राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955–224–भू–प्रबन्ध विभाग को राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करने का अधिकारी नही है। उसे पुराने रिकार्ड को दौहराने का अधिकारी प्राप्त है। जब दोनो अधिनस्थ न्यायालयो के समवर्ती निर्णय है तब बिना ठोस आधार के द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप नही कर सकते ।" **अपील खारिज।**

4 आरआरटी 2018(1) पृष्ठ 292 अपील/एलआर/1813 /2014/जयपुर निर्णय दिनांक 26.05.2017 बउनवान मदिर ठाकुर जी सीताराम जी बनाम कल्याण शाह मीणा व अन्य राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर – Imp.Point:-"Settlement department has no competence to chenge the kind of land,rights of tenure - holders and entries in revune record." **अपील खारिज।**

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अभिभाषक ने दौराने बहस उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब में अंकित कथनो को दौहराते हुये निवेदन किया कि किया कि जिला कलक्टर अजमेर का आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ.12(सी)/13/292 दिनांक 27.09.2013 विधिसम्मत है जो विधिनुसार, विस्तृत विवेचन, विश्लेषण व गुणावगुण पर पारित किया गया है। ग्राम बडल्या के खसरा नं0 637 रकबा 0.14 हैक्टेयर किस्म चाही1 व खसरा नं0 638 रकबा 0.10 हैक्टेयर किस्म चाही1 भूमि राजस्व रेकार्ड में सिवायचक व मौके पर रिक्त होने के आधार पर ही जिला कलक्टर अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 27.09.2013 से अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर को हस्तान्तरित करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थीगण ने सक्षम न्यायालय में राजस्व वाद प्रस्तुत नहीं किया है तथा जिला कलक्टर अजमेर आदेश को भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी गई है जिससे जिला कलक्टर अजमेर का आदेश विद्यमान है। उक्त अपील में अपीलार्थी वांछित अनुतोष प्राप्त नही कर सकता है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

Scanned with CamScanner

प्रत्यथीगण के अधिवक्ता द्वारा अपने कथनो के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये:–

1 2015(1) आरआटी –10 सुप्रीम कोर्ट
2 2020 आरबीजे–144
3 न्यायलय संभागीय आयुक्त एलआर अपील संख्या 54/2017

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन कर प्रकरण से संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह तथ्य स्पष्ट होते है कि जिला कलक्टर अजमेर के आदेश कअ/राजस्व/एफ.12(सी)/13/292दिनांक 27.09.2013 से विवादित आराजीयात ग्राम बडल्या तहसील अजमेर के खसरा नं0 637 रकबा 0.14 हैक्टेयर किस्म चाही1 व खसरा नं0 638 रकबा 0.10 हैक्टेयर किस्म चाही1 की भूमि अजमेर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित हो गई है। वर्किंग जमाबन्दी खाता सं0 01 खसरा नं0 58मिन रकबा 01–09–00 बीघा में यह नोट लगा है कि नामान्तरकरण सं0 अपठित दिनांक अपठित के मौखिक आदेश श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी के नियमन से खसरा नं0 58मिन रकबा 01–09–00 बीघा पर भैरू वल्द कज्जा व रतनसिंह, जैता महावीर पिता धन्ना कौम रावत सा. बड़लिया के नाम दर्ज किया गया। मिलान क्षेत्रफल अनुसार उक्त खसरा नं0 58मिन के नवीन नम्बर खसरा नं0 637 रकबा 0.14 हैक्टेयर व खसरा नं0 638 रकबा 0.10 हैक्टेयर बने है जो हाल: जमाबन्दी में अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम है। चूकि भूप्रबन्ध विभाग की त्रुटि से ऐसी स्थिति उत्पन्न होकर भूमि सिवायचक होना प्रतीत होती है जिससे भूप्रबन्ध विभाग की खामियों को आम काश्तकार भुगत रहा है तथा राजस्व लोक अदालत में न्याय प्रदान नहीं कर पक्षकारान को ओर अधिक व्यथित पक्षकार बनाकर राजस्व वाद के माध्यम से ही वाद दायर कर राहत प्रदान करने का उपचार बताया गया है। यहा मेरा मन्तव्य है कि न्याय सहज व सुलभ हो तथा पक्षकारान के हक, अधिकारों व हितो की अनदेखी नहीं की जाकर खातेदार/काश्तकार को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अथवा अन्य राजस्व कैम्प में राजस्व/भूप्रबन्ध विभाग की कमियों को दुरूस्त कर राहत प्रदान की जा सकती है। उक्त प्रकरण में राजस्व लोक अदालत में सुलभ न्याय प्रदान करने के स्थान पर राजस्व वाद प्रस्तुत करने के आदेश जारी कर प्रकरण को खारिज किया जाना उचित नहीं माना जा सकता है। विवादित आराजी के संबंध में राजस्व रेकार्ड में भूप्रबन्ध विभाग की त्रुटि को मध्यनजर रखकर विधिवत आदेश पारित किया जाना ही उचित होता जो अधिनस्थ न्यायलय द्वारा नही किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत एवं न्यायोचित नही होने से निरस्त योग्य प्रतित होता है।

अपीलार्थीगण अधिवक्ता द्वारा उनके कथनो के समर्थन में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मान अवलोकन किया गया। यह सभी न्यायिक दृष्टांत तथ्यपरक समानता के कारण प्रस्तुत प्रकरण पर यथावत चस्पा होते है ।

Scanned with CamScanner

प्रत्यर्थीगण अधिवक्ता द्वारा उनके कथनो के समर्थन में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मान अवलोकन किया गया। यह सभी न्यायिक दृष्टांत तथ्यपरक भिन्नता होने के कारण प्रस्तुत प्रकरण पर यथावत चस्पा नहीं होते है ।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार कर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार वर्ष 2018 में अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.06.2018 अपास्त किया जाता है तथा जिला कलक्टर अजमेर का आदेश कअ/राजस्व/एफ.12(सी)/13/292दिनांक 27.09.2013 अपीलार्थी के हक हिस्से की आराजी की हद तक निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि वर्किंग जमाबन्दी के दर्ज अंकन अनुसार अपीलार्थी के हक हिस्से की भूमि का इन्द्राज वर्तमान राजस्व रेकार्ड में भी दर्ज करे।

Scanned with CamScanner